फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मोहन पिता कन्हैयालाल उर्फ काना बैरवा निवासी गेगपुरा, तहसील राशमी
बनाम
ग्राम पंचायत सोमी पंचायत समिति राशमी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सोमी वगैरा

प्रकरण संख्या 45/2023 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार आज भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रुक–रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रुक–रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगराकार प्रकरण में दिनांक 14.08.2024 से अनुपस्थित चल रहे हैं। पेशी दिनांक 26.03.2025 पर अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता निगराकार को न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी आज अधिवक्ता निगराकार उपस्थित नहीं हुए हैं। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Web Copy - Not Official